

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

SAR. Case No. 05/2008-09

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ								
20.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत एस.ए.आर. वाद संख्या-05/2008-09 आवेदक/अपीलार्थी-श्री प्रेमचन्द मुरमू पिता-श्री सुखदेव माझी, निवासी-वार्ड नं०-16, चक्रधरपुर, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के लिखित आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक-22.11.2008 को न्यायालय में प्रारंभ की गई, जिसमें, (1) श्री मेसरो कच्छप (2) दुर्गा कच्छप (3) बंदना कच्छप सभी के पिता-स्व० सुकरा कच्छप, ग्राम-पम्प रोड, चक्रधरपुर, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है। भूमि का विवरणी:- <table border="1"><tr><th>मौजा</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>कुल रकवा</th></tr><tr><td>चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं०-16</td><td>283</td><td>64(a) 64(b)</td><td>0.02 ए०</td></tr></table> आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक-18.10.2021 को न्यायालय में सुनवाई के दौरान लिखित रूप से आवेदन पत्र दाखिल कर एस०ए०आर० वाद संख्या-05/2008-09 को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस वाद में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना एवं वाद की कार्रवाई को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही एस०ए०आर० वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकवा	चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं०-16	283	64(a) 64(b)	0.02 ए०	
मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकवा							
चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं०-16	283	64(a) 64(b)	0.02 ए०							